संख्या– 533 / 9.1.2016–21सा / 09

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 12 फरवरी 2016

विषयः वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों / जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या– वे.आ.–2–773/ दस–62(एम) / 2008, दिनांक .05. नवम्बर 2014 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नई व्यवस्था लागू की गयी है। उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था का लाभ नगरीय स्थानीय निकायों निकायों / जलसंस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अनुमन्य कराये जाने हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 05–11–2014 को अंगीकृत करते हुए शासनादेश संख्या–10 / 2015 / 3520 / नौ–1–15–21 सा / 2009, दिनांक 24 अगस्त 2015 निर्गत किया गया है। वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–50 / 2015–वे.आ.–2–871 / दस–62(एम) / 2008, दिनांक 26.08.15 द्वारा शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 में निर्धारित व्यवस्था के संबंध में संशोधन निर्गत किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–50 / 2015–वे.आ.–2–871 / दस–62(एम) / 2008, दिनांक 26.08.15 द्वारा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी) की व्यवस्था में किये गये संशोधन को नगरीय स्थानीय निकायों / जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये लागू किये जाने हेतु अंगीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. उपर्युक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित निकाय / जलसंस्थान द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त कोई धनराशि देय नहीं होगी ।

4. अतः शासनादेश संख्या–10 / 2015 / 3520 / नौ–1–15–21 सा / 2009, दिनांक 24 अगस्त 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे..आ.–2–142 / दस–2016, दिनांक– 09 फरवरी 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

G.0.V

संख्या– 533 (1)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक जलकल विभाग/जलसंस्थान उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
8. नगर विकास के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

G.0.V